वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा–डी–तीन–10226/३७२१ .दिनांक : २३/०१/२०२४.

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय : Diversion of 0.0133 ha of forest land for access to Retail Outlet of BPCL along Kharkhoda-Delhi Road (SH-18) near Km. stone No. 36 at village Pipli under Forest Division and District Sonipat, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/147639/2021

संदर्भ : आपका पत्र कमांक 9-HRB107/2022-CHA दिनांक 27.07.2023 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र द्वारा अपेक्षित मदवाईज सूचना निम्न प्रकार से आपको भेजी जाती है :–

1–5. प्रस्ताव में संशोधित सी0ए0 स्कीम अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी ने प्रतिपूर्ति पौधारोपण, नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड व अन्य चार्जिज सहित कुल 238249/– रूपये की राशि केम्पा के लेखा में जमा करवा दी है । ऑनलाईन पोर्टल अनुसार राशि का स्टेटस "Paid" होने उपरान्त प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा अपेक्षित ऑनलाईन कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है ।

6. एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
7. वन मण्डल अधिकारी, सोनीपत द्वारा दी गई अण्डरटेकिंग प्रति संलग्न है।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा कैम्पा (स्टेट अथोरिटी) पंचकूला द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध किया जाता है कि यह शर्त स्टेट–**II** स्वीकृति में अंकित करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त स्टेज–I **2B** से सम्बन्धित अण्डरटेकिंग की प्रति संलग्न है तथा ऑनलाईन पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गई है।

कृपया प्रस्ताव में स्टेज–II स्वीकृति बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।

22.1.24

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

APPLICATION FORM FOR TRANSFER OF FUNDS THROUGH NEFT / RTGS

To, Date : 16/9/23

The Branch Manager

.......Pipli............ Branch

Please remit a sum of Rs. 2,38,249 (Rupees दो लाख अड़तीस हजार दो सौ उनचास Only) through ***NEFT / RTGS**** as per the details given below and debit the amount including your charges to my/our CD / CC / OD / CC account No. .... maintained with........................branch.

DETAILS OF APPLICANT			DETAILS OF BENEFICIARY		
1.	Name	PARDEEP	1.	Name	HARYANA CAMPA
2.	Account No.	3411048887	2.	Account No.	
3.	Address	V.P.O-PIPLI	3.	Account Type	150697014763932 8
4.	Tel./Mobile No.	7404170550	4.	Name of Bank	UNION BANK
5.	Email Id		5.	Name of Branch	Bengaluru-560027
6.	PAN	CHRPP1316A	6.	IFSC Code	UBIN0996335

For Bank's Use only		
Entered by :	(Officer's SS No 9457)	Pardeep (Signature of the Applicant)
Checked by:	(Officer's SS No 9950)	Applicant's Signature verified by:
Transaction Reference No. :		(Officer's SS No.................)

*** Delete whichever is not applicable.**

1. I / We have checked the funds transfer instructions / particulars given in the application and I / We shall be liable to compensate the Bank for any loss arising on account of any error in payment order / amendment / cancellation thereto.
2. I / We understand that the messages given after cut-off time will be sent only on the next batch / working day for NEFT.
3. The transfer is effected for legitimate personal / business needs.
4. I / We shall ensure availability of funds properly applicable to the payment order before execution of the payment order by the bank and understand that if the bank executes the transfer order without properly applicable funds being available in my account, I / We shall be bound to pay to the bank the amount debited to my account together with charges including interest payable to the bank provided the transfer was effected as per my order.
5. I / We understand that in case the payee branch does not have NEFT / RTGS facility, the funds will be credited back to my / our account as and when it is returned by the beneficiary bank.
6. I / We also agree to abide by the guidelines/ regulations etc. issued by RBI for RTGS / NEFT and also the terms and conditions of Central Bank of India, issued from time to time on this score.

CBINR52023091610004234

Date : 16/9/23

Pardeep
(Signature of the Applicant)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

बवाना रोड, पिपली, जिला सोनीपत, हरियाणा
BAWANA ROAD, PIPLI, DIST-SONEPAT, HARYANA-131402
IFSC: CBIN0284308

सभी शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL BRANCHES

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
1	6	0	9	2	0	2	3

Pay Your Self या धारक को or Bearer

रुपये Rupees दो लाख अड़तीस हजार दो सौ उनन्चास रुपये अदा करें ₹ 2,38,249/-

खाता सं. A/c. No. 3411048887

PIPLI

Pardeep
PARDEEP S/O SUMER SINGH
कृपया हस्ताक्षर ऊपर करें / Please sign above

⑈011778⑈ 180016164⑆ 000050⑈ 31

2.	Account No.	3411048887			
3.	Address	V.P.O-PIPLI	3.	Account Type	150697014763932 8
4.	Tel./Mobile No.	7404170550	4.	Name of Bank	UNION BANK
5.	Email Id		5.	Name of Branch	Bengaluru-560027
6.	PAN	CHRPP1316A	6.	IFSC Code	UBIN0996335

For Bank's Use only		
Entered by :	(Officer's SS No. 9957)	Pardeep (Signature of the Applicant)
Checked by:	(Officer's SS No. 9958)	Applicant's Signature verified by:
Transaction Reference No. :		(Officer's SS No. ....)

* *Delete whichever is not applicable.*

1. I / We have checked the funds transfer instructions / particulars given in the application and I / We shall be liable to compensate the Bank for any loss arising on account of any error in payment order / amendment / cancellation thereto.
2. I / We understand that the messages given after cut-off time will be sent only on the next batch / working day for NEFT.
3. The transfer is effected for legitimate personal / business needs.
4. I / We shall ensure availability of funds properly applicable to the payment order before execution of the payment order by the bank and understand that if the bank executes the transfer order without properly applicable funds being available in my account, I / We shall be bound to pay to the bank the amount debited to my account together with charges including interest payable to the bank provided the transfer was effected as per my order.
5. I / We understand that in case the payee branch does not have NEFT / RTGS facility, the funds will be credited back to my / our account as and when it is returned by the beneficiary bank.
6. I / We also agree to abide by the guidelines/ regulations etc. issued by RBI for RTGS / NEFT and also the terms and conditions of Central Bank of India, issued from time to time on this score.

CBINR52023091610004234

Date : 16/9/23

Pardeep
(Signature of the Applicant)

Fca case

COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006.

Endst. No. 3728 /MB Dated 21.04.2022

Subject : **Diversion of 0.0133 ha. of Forest land for access to the BPCL MS/HSD Filling station on Kharkhoda-Delhi Road, (SH-18) Near km Stone No. 36 (RHS), at Village Pipli, Tehsil Kharkhoda, under Distt. and Division Sonepat.**

File No. : FP/HR/Approach/147639/2021
Date of Proposal : 24-09-2021

A proposal has been received from the office of Divisional Forest Officer, Sonepat vide his office letter bearing No. ------------------ dated ------------------ where in it has been requested that necessary certification may be given for **Diversion of 0.0133 ha. of Forest land for access to the BPCL MS/HSD Filling station on Kharkhoda-Delhi Road, (SH-18) Near km Stone No. 36 (RHS), at Village Pipli, Tehsil Kharkhoda, under Distt. and Division Sonepat under Distt. and Division Sonepat** falls within jurisdiction of **Pipli** village in **Kharkhoda** tehsil.

In this regard, based upon report of District Forest Officer, Sonepat it is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villagers having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census -2001 and the Census-2011.

District Collector,
Sonepat.

To,

The Divisional Forest Officer,

Sonepat Forest Division, Sonepat

I/49365/2023

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,चंडीगढ़ /**Integrated Regional Office, Chandigarh**

F.No.:- 9-HRB107/2022-CHA **दिनांक: July, 2023**

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ।
(fcforest@hry.nic.in)

विषय: **Diversion of 0.0133 ha of forest land for access to Retail Outlet of BPCL along Kharkhoda-Delhi Road (SH-18) near Km. stone No. 36 at village Pipli under Forest Division and District Sonipat, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/147639/2021)**

संदर्भ: State Government's Compliance Letter No. क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10226/825 dated 23.06.2023 received on 27.06.2023.

महोदय**,**

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन **(**संरक्षण**)** अधिनियम**,**1980 की धारा**-**२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.0133** हेक्टेयर वनभूमि के उपयोग के लिए **सैद्धांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

i. प्रयोक्ता एजेंसी से **CA** स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।

ii. **WP (C) No. 202/1995, IA No. 566** में माननीय उच्तम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि **0.0133** हेक्टेयर की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

iii. प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।

iv. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।

v. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीएलागत, एंनपीवी, आदि) वेबपोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते है| अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I Clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा|

vi. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के द्वारा किया जाएगा |

बेज नं.**24-25**, सेक्टर-**31** ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in

vii. वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वाशन (Undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे |

viii. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वाशन (Undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वनमंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे |

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वनविभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

i. वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष/पौधे नहीं काटे जायेंगे और वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा |

iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वनभूमि Compartment No. H43W13, ***Khanda Drain, Rai Range*** में **100** पौधे लगाकर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा।अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा |

iv. वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे |

v. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वनमंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे|

vi. राज्य सरकार वनभूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी |

vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।

viii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

ix. इस प्रस्ताव को **15** वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी|

x. पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि **(Periphery)** पर दिवार से **1.5** मीटर जगह छोड़कर **1.0** से **1.5** मीटर के अन्तराल पर **Light Crown** पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।

xi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पंहुच मार्ग **(Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration)**व विभाजक द्वीप **(Separator Island)** पर भी पौधारोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा **|**

xii. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

xiii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xiv. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xv. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना केअनुसार किया जायेगा **|**

बेज नं.**24-25**, सेक्टर-**31** ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in

xvi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xvii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xviii. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

xix. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्तवन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा| ***केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा |***

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी **किया जा रहा है|**

भवदीय
हस्ता/-
(राजा राम सिंह)
उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
IRO, MoEF&CC, Chandigarh

Signed by
Raja Ram Singh
Date: 27-07-2023 08:44:20

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू), पर्यावरण**,** वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन,जोरबाग़, अलीगंज, नई दिल्ली। (ramesh.pandey@nic.in)
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Sonipat, Haryana. (dfo.spt-hry@nic.in)
4. BHARAT PETROLEUM CO. LTD., NEAR DOUBLE PHATAK HISAR, Haryana-125001. (sawasthikumar@gmail.com)

बेज नं.**24-25**, सेक्टर-**31** ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
हिसार टैरिटरी

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
Hissar Territory

Ref: HRT/NRO/PIPLI/FOREST NOC **Date: 09.10.2023**

The Divisional Forest Officer,
Forest Division & District Sonipat,
Haryana

Subject: Diversion of 0.0133 ha of forest land for access to Retail Outlet of BPCL along Kharkhoda-Delhi Road (SH-18) near Km. stone no. 36 at Village Pipli under Forest Division and District Sonipat, Haryana (Online Proposal No. FP/HR/Approach/147639/2021)

Reference: Letter from IRO, MoEF&CC, Chandigarh dated 27.07.2023 (F. No.:-9-HRB107/2022-CHA)

Dear Sir,

This is with reference to the letter dated 27.07.2023 from IRO, MoEF&CC in the subject Online Proposal No. FP/HR/Approach/147639/2021.

We hereby confirm that the required Forest NOC Fees of Rs. 2,38,249/- has been submitted online vide UTR No. CBINR52023091610004234 dated 16.09.2023 through portal- www.parivesh.nic.in in CAMPA Fund (Receipt enclosed)

It is also to confirm that Mutation details have been successfully forwarded to Nodal Officer for verification on www.parivesh.nic.in (Screenshot enclosed)

View above, Grateful if the subject Online Proposal No. FP/HR/Approach/147639/2021 is kindly processed and NOC is granted at the earliest please.

Thank You

Faithfully yours,
For Bharat Petroleum Corporation Limited

09/10/2023

Sunil Kumar Brar
Territory Manager (Retail), Hisar

रोन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

APPLICATION FORM FOR TRANSFER OF FUNDS THROUGH NEFT / RTGS

Date : 16/9/23

To,

The Branch Manager

........Pipli........... Branch

Please remit a sum of Rs. 2,38,249 (Rupees दो लाख अड़तीस हजार दो सौ उनचास only) through **NEFT / RTGS*** as per the details given below and debit the amount including your charges to my/our CD / CC / OD / CC account No. .... maintained with.............................. branch

DETAILS OF APPLICANT			DETAILS OF BENEFICIARY		
1.	Name	PARDEEP	1.	Name	HARYANA CAMPA
2.	Account No.	3411048887	2.	Account No	
3.	Address	V.P.O-PIPLI	3.	Account Type	150697014763928
4.	Tel /Mobile No.	7404170550	4.	Name of Bank	UNION BANK
5.	Email Id		5.	Name of Branch	Bengaluru - 560027
6.	PAN	CHRPP1316A	6.	IFSC Code	UBIN0996335

For Bank's Use only		
Entered by :	(Officer's SS No. 9457)	Pardeep **(Signature of the Applicant)**
Checked by:	(Officer's SS No. 9458)	Applicant's Signature verified by
Transaction Reference No. :		(Officer's SS No.................)

*** Delete whichever is not applicable**

1. I / We have checked the funds transfer instructions / particulars given in the application and I / We shall be liable to compensate the Bank for any loss arising on account of any error in payment order / amendment / cancellation thereto.
2. I / We understand that the messages given after cut-off time will be sent only on the next batch / working day for NEFT.
3. The transfer is effected for legitimate personal / business needs.
4. I / We shall ensure availability of funds properly applicable to the payment order before execution of the payment order by the bank and understand that if the bank executes the transfer order without properly applicable funds being available in my account, I / We shall be bound to pay to the bank the amount debited to my account together with charges including interest payable to the bank provided the transfer was effected as per my order.
5. I / We understand that in case the payee branch does not have NEFT / RTGS facility, the funds will be credited back to my / our account as and when it is returned by the beneficiary bank.
6. I / We also agree to abide by the guidelines/ regulations etc. issued by RBI for RTGS / NEFT and also the terms and conditions of Central Bank of India, issued from time to time on this score.

CBINR52023091600004234

Date : 16/9/23

Pardeep
(Signature of the Applicant)

... to PARIVESH × | Welcome to Single Window C ×

...s_UA.aspx?cat_id=FP%2fHR%2fApproach%2f147639%2f2021

forestsclearance.nic.in says

Mutation details has been successfully forwarded to Nodal officer for verification.

OK

1/49365/2023

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,चंडीगढ़ /**Integrated Regional Office, Chandigarh**

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

LiFE Lifestyle for Environment

F.No.:- 9-HRB107/2022-CHA दिनांक: July, 2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ।
(fcforest@hry.nic.in)

विषय: **Diversion of 0.0133 ha of forest land for access to Retail Outlet of BPCL along Kharkhoda-Delhi Road (SH-18) near Km. stone No. 36 at village Pipli under Forest Division and District Sonipat, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/147639/2021)**

संदर्भ: State Government's Compliance Letter No. क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10226/825 dated 23.06.2023 received on 27.06.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.0133** हेक्टेयर वनभूमि के उपयोग के लिए **सैद्धांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

i. प्रयोक्ता एजेंसी से **CA** स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।

ii. **WP (C) No. 202/1995, IA No. 566** में माननीय उच्तम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि **0.0133** हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

iii. प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।

iv. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।

v. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीएलागत, एनपीवी, आदि) वेबपोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते है| अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I Clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा|

vi. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के द्वारा किया जाएगा |

बेज नं.24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 /**Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No** : 0172-2638061 **Fax No** : 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in

365/2023

vii. वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वाशन (Undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे |

viii. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वाशन (Undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वनमंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे |

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वनविभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

i. वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष/पौधे नहीं काटे जायेंगे और वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा |

iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वनभूमि Compartment No. H43W13, ***Khanda Drain, Rai Range*** में **100** पौधे लगाकर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा।अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा |

iv. वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे |

v. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वनमंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे|

vi. राज्य सरकार वनभूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी |

vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्धेश्य के अलावा किसी अन्य उद्धेश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।

viii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

ix. इस प्रस्ताव को **15** वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी|

x. पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि **(Periphery)** पर दिवार से **1.5** मीटर जगह छोड़कर **1.0** से **1.5** मीटर के अन्तराल पर **Light Crown** पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।

xi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पंहुच मार्ग **(Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration)** व विभाजक द्वीप **(Separator Island)** पर भी पौधारोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा |

xii. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

xiii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xiv. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xv. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना केअनुसार किया जायेगा |

बेज नं.24-25, सेक्टर-31 ए,चंडीगढ़-160030 /Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email: ronz.chd-mef@nic.in

365/2023

xvi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xvii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xviii. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

xix. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्तवन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा| ***केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा |***

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी **किया जा रहा है|**

भवदीय

हस्ता/-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

Signed by
Raja Ram Singh
Date: 27-07-2023 08:44:20

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन,जोरबाग, अलीगंज, नई दिल्ली। (ramesh.pandey@nic.in)
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Sonipat, Haryana. (dfo.spt-hry@nic.in)
4. BHARAT PETROLEUM CO. LTD., NEAR DOUBLE PHATAK HISAR, Haryana-125001. (sawasthikumar@gmail.com)

बेज नं.**24-25**, सेक्टर-**31** ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No** : 0172-2638061 **Fax No** : 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in

COMPLIANCE OF REPORT 2A/2B

Proposal Name: - Diversion of 0.0133 hac. of forest land for access to proposed site of Retail Outlet of BPCL along Kharkhoda-Delhi Road (SH-18) near KM stone no. 36 at Village – Pipli Under Forest Division & Tehsil – Kharkhoda, District – Sonipat (Haryana).
(Online Proposal No. FP/HR/Approach/147639/2021)

I **Sunil Kumar Brar, Territori Manager (Retail), Hisar**, applied Diversion of 0.0133 hac. of forest land for access to proposed site of Retail Outlet of BPCL along Kharkhoda-Delhi Road (SH-18) near KM stone no. 36 at Village - Pipli Under Forest Division & Tehsil - Kharkhoda, District - Sonipat (Haryana)

I do hereby solemnly affirm and declare as under: -

यहाँ राशि CA, ACA, NPV के माध्यम से Central Bank of India में जमा करवा दी गई है जिसका Ref. No.- **CBINR52023091610004234** है।

1. वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. प्रस्ताव के अनुसार काई भी वृक्ष /पौधे नही काटे जायेगे और वनजीवो को किसी तरह का नुकसान नही पहुचाया जाएगा।
3. राज्य सरकार द्वारा प्रभावित सीए योजना के अनुसार degraded वन भूमि **Khanda Drain, Rai Range** में **100** पौधे लगा कर पर सीए किया जायगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षरोपण किया जायेगा। यथासम्भव, स्थानीय देसी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एव किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
4. वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छा अनुसार नहीं बदलेंगे।
5. नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे।
6. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एज़ेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रति पूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

सुनील बराड़ / SUNIL BRAR
प्रादेशिक प्रबन्धक / Territory Manager
भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
हिसार रिटेल टेरिटरी, हिसार
Hisar Retail Territory, HISAR

Scanned with OKEN Scanner

8. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा कराने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।

9. इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।

10. पेट्रोल पंप की पूरी परिधि (Periphery) पर दीवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अंतराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जायेगा।

11. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पहुँच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधरोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

12. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेंगे।

13. स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

14. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।

15. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।

16. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।

17. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।

18. इनमे से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देशन 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।

19. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

02/01/2024

Sunil Kumar Brar
Territory Manager (Retail), Hisar

सुनील बराड़ / SUNIL BRAR
प्रादेशिक प्रबंधक / Territory Manager
भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
हिसार रिटेल टैरिटरी, हिसार
Hisar Retail Territory, HISAR

Scanned with OKEN Scanner